उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–10
संख्या–527/1–10–2015–33(16)/2015टी0सी0–5
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति के सापेक्ष रू0 7543.14 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। किसानों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि में धनराशि उपलब्ध नहीं है तथा भारत सरकार के मानक के अनुसार ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की आवश्यकता है।

2– अतः श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजना हेतु **रू0 500.00 करोड़ (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र)** की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त व्यय प्रथमतः "8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि" से विनियोग और अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–51 के लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या–ई–5–857/दस–2015, दिनांक–30 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग

सी0एफ0 संख्या-013/ई-5-857/दस-2015, दिनांकः 30 जून, 2015

प्रतिलिपि एक अतिरिक्त प्रति सहित महालेखाकार (प्रथम), लेखा एवं हकदारी/लेखा अनुभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(देशराज सिंह) 29.6.15
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-527(1)/1-10-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/5
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-6/11/गार्ड फाइल

आज्ञा से,
29/6/15
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

528 राज्य आकस्मिकता निधि से आवंटन
संख्या- /1-10-2015-33(16)/2015टी0सी0-6

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, मीरजापुर, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर, आगरा, जालौन, चित्रकूट, आजमगढ़, कानपुर देहात, हमीरपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, अमेठी, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, फतेहपुर, बरेली, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, झांसी, फैजाबाद, रामपुर, शाहजहाँपुर, मथुरा, कुशीनगर, एटा, बुलन्दशहर, बलिया, गोरखपुर, सम्भल, हापुड गौतमबुद्धनगर, हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमरोहा, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, अम्बेडकरनगर, सीतापुर, संत रविदासनगर, वाराणसी, जौनपुर, चन्दौली, देवरिया, बस्ती एवं संत कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2015

विषयः प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 500,00,00,000/- (रूपये पाँच सौ करोड़ मात्र)** सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	धनराशि (लाख में)
1	बांदा	2000.00
2	मीरजापुर	500.00
3	ललितपुर	2000.00
4	महोबा	2000.00
5	सहारनपुर	266.42
6	आगरा	1500.00
7	जालौन	2000.00
8	चित्रकूट	2000.00
9	आजमगढ़	500.00
10	कानपुर देहात	1500.00
11	हमीरपुर	2000.00

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त धनावंटन (42

12	मुरादाबाद	1500.00
13	इलाहाबाद	1000.00
14	अमेठी	500.00
15	कन्नौज	800.00
16	कानपुर नगर	500.00
17	खीरी	500.00
18	फतेहपुर	1500.00
19	बरेली	500.00
20	फिरोजाबाद	1500.00
21	प्रतापगढ़	1000.00
22	झांसी	2000.00
23	फैजाबाद	299.12
24	रामपुर	1000.00
25	शाहजहाँपुर	1000.00
26	मथुरा	2000.00
27	कुशीनगर	500.00
28	एटा	595.68
29	बुलन्दशहर	500.00
30	बलिया	500.00
31	गोरखपुर	500.00
32	सम्भल	1000.00
33	हापुड़	259.56
34	गौतमबुद्धनगर	500.00
35	हाथरस	597.03
36	मैनपुरी	1000.00
37	अलीगढ़	1000.00
38	कौशाम्बी	500.00
39	बाराबंकी	500.00
40	सुल्तानपुर	500.00
41	अमरोहा	500.00
42	गाजीपुर	1500.00
43	लखनऊ	500.00
44	रायबरेली,	1000.00
45	हरदोई	1000.00
46	अम्बेडकरनगर	500.00
47	सीतापुर	1000.00
48	संत रविदासनगर	682.19
49	वाराणसी	500.00
50	जौनपुर	500.00
51	चन्दौली	500.00
52	देवरिया	500.00

53	बस्ती		500.00
54	संत कबीरनगर		500.00
		योग	50000.00
			रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र

2- यह धनराशि वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-857/दस-2015, दिनांकः 30 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही है। अतः इस धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित है। अतः इसका ऑन लाइन बजट आवंटन नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद के कोषागार द्वारा ही बजट की फीडिंग की जायेगी।

3- उक्त व्यय प्रथमतः 8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोग और अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।

5- ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

6- इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7- शासनादेश संख्या 4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

8- इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

9- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

10- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,
30/6/15
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्याः- 528 (1)/1-10 2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
30/6/15
(मदन मोहन)
अनु सचिव ।